निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -159/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वामी, व.ले.प. एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों, द्वारा दिनांक 12.03.2018 से 17.03.2018 तक सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 10/15 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – समस्त जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	-
2015-16	1768.52
2016-17	1411.49

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन ----- द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'बी'श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, राज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, राज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह..... को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह.....को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर सं0 01- आई.टी.सी. रिवर्स न कये जाने से राजस्व क्षति एवं अर्थदण्ड का अनारोपण `15.92 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लए पंजिकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी जो कर अव ध के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी भर्ती के अधीन रहते हुये जैसे की इस धारा में वनिर्दिष्ट है, कये गये क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भुगतान कया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की वहित की जाय।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर, रूद्रप्रयाग के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री अनुसूचा ट्रेर्डस क0नि0 वर्ष 2014-15 में प्रांतीय खरीद पर कूल `17,87,888/- का आई0टी0सी0 का लाभ कर निर्धारण अ धकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची के जाँच में पाया गया क द्वतीय त्रैमास में `46,83,551 के मोबाइल के प्रांतीय खरीद पर 13.5 प्रतिशत की दर से ` 6,32,279 का आई0टी0सी0 का लाभ लया गया था। जब क मोबाइल उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम के अनुसूची-II B से आच्छादित होने के कारण इस पर 5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 मलना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा वर्ष में `46,83,551 के मोबाइल खरीद पर 8.5 प्रतिशत की दर से `3,98,101 का आई0टी0सी0 रिवर्स होना चाहिए था। अ धनियम की धारा 58(I)(xi) के अनुसार ITC का गलत दावे की स्थिति में दावाकृत धनरा श की तीन गुना धनरा श पैनाल्टी के रूप में देय है। अत: इस प्रकरण में `11,94,303/- की पैनाल्टी भी आरोपणीय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क आप त्त प्रकरण की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया गया।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर सं0 02- वलम्ब से जमा करायी गयी टी0डी0 एस कटौती पर अर्थदण्ड का अनारोपण `1.42 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम की धारा 35(8) के प्रावधानों के अनुसार कोई उपक्रम स्रोत पर कटौती करने में असफल रहती है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनरा श को जिस माह में कटौती की जाए की अगामी माह की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहती है तो अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन गयी धनरा श के दुगने से अना धक धनरा श का भुगतान करेगी।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर, रूद्रप्रयाग के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री अ धशासी अ भयन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड, जल संस्थान रूद्रप्रयाग क0नि0 वर्ष 2013-14 में माह 07/2013 का टी0डी0एस कटौती `71,427/- को दिनांक 03.09.2013 को जमा कया गया था। जब क उपरोक्त रा श को अगस्त 2013 तक जमा कया जाना था। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा टी0डी0एस कटौती वलम्ब से जमा कये जाने पर उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 के धारा 35(8) के प्रावधानों के अनुसार `1,42,854 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क माह 07/2013 का समयानुसार जमा कया गया है 8/2013 का सर्फ 1 दिन वलम्ब से जमा कया गया तथा 07/2013 के सम्बंध में कुछ नहीं कहा गया है।

अत: माह 07/2013 का टी0डी0एस कटौती वलम्ब से जमा करने पर `1.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया गया।

STAN

प्रस्तर सं0 01- अर्थदण्ड का अनारोपण `0.08 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम की धारा 58(1)(VII) के प्रावधानों के अनुसार कर देर से जमा होने पर कम से कम 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) रूद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री सरिता पुस्तक भण्डार रूद्रप्रयाग द्वारा वर्ष 2014-15 के कर वलम्ब से जमा कये गये ववरण निम्न है।

क्र.स.	कार्यालय का नाम	माह	कर (`)	जमा करने की ति थ
1	सर्वश्री सरिता पुस्तक भण्डार	प्रथम तिमाही	12000	29.08.2014
2	सर्वश्री सरिता पुस्तक भण्डार	चतुर्थ तिमाही	68500	27.04.2015
			` 80500	

कर `80500 वलम्ब से जमा कये गये जब क कर अगले माह के 25 तारीख से पहले जमा कर दिया जाना चाहिये था अत: न्यूनतम 10 प्रतिशत (`8050) का अर्थदण्ड आरोपणीय कया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बाताया गया क नियमानुसार कार्यावाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   (i) भाग 2'ख', प्रस्तर 01,02

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री जितेन्द्र गुप्ता	अ स0 क म0
(ii)	श्री मनमोहन असवाल	अ स0 क म0

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), राज्य कर, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र